न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–04 / 2025

जीसीएमएस नं:–2025 / 23

रामदयाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—— प्रार्थी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—— अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251 'क' राज.काश्त अधिनियम

वकील उपस्थित

1. श्री मुला राम जागू एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. राज पैरोकार अप्रार्थी की ओर से

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 07/11/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि आवेदक के नाम से वाके कृषि भूमि चक 5 पीजीएम का मुरब्बा नं.–16 पत्थर सं.–290 / 446 का किला नं–10, 11, में कुल 0.5060 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबंदी की प्रतिलिपी सलग्न है। प्रार्थी की कृषि भूमि के चिपते ही उत्तर दिशा में इसी मुरब्बा का किला नं–1, 2 हड्डा रोडी रकबा राज दर्ज है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है तथा ना ही कोई रास्ता मौका पर स्वीकृत / चालु है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु कोई भी रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु आने जाने मे तथा कृषि जिन्स धान मण्डी लाने हेतु बहुत ही ज्यादा परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अप्रार्थी की कृषि भूमि के उत्तर दिशा में स्थित रकबा राज किला नं–1 के उत्तर दिशा में मौका पर रास्ता चल रहा है जो गैर मुमकिन रास्ता है तथा उक्त रास्ता आगे जाकर मुख्य सड़क से जुड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि से आने जाने के लिए अप्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक 5 पीजीएम मुरब्बा नं.–16 पत्थर सं.–290 / 446 के किला नं.–1 में पश्चिम दिशा में 16 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है ताकि प्रार्थी अप्रार्थी के किला नं.–1 में से रास्ता स्वीकृत होने के बाद उक्त रास्ता से होकर आगे चल रहे रास्ता से जुड कर मुख्य सड़क पर आ जा सकता है तथा उक्त रास्ता ही सबसे सुगम व सुविधाजनक है। इसके अलावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.11.10 11:23:39 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिए रास्ता स्वीकृत नहीं होने के कारण प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु आने जाने में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है तथा रास्ता के अभाव में प्रार्थी को अपनी कृषि जिन्स कृषि मण्डी में लाने में भारी असुविधा होती है। इसलिए प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी की कृषि भूमि में रास्ता मंजुर करवा कर राजस्व रिकार्ड में अकंन करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 5 पीजीएम का मुरब्बा नं.–16 पत्थर सं.–290/446 के किला नं.–1 में पश्चिम दिशा में 16 फुट चौड़ा रास्ता मंजुर करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी रास्ता में आने वाली भूमि की ऐवज में अप्रार्थी को डीएलसी मुल्य अथवा माननीय न्यायालय जो भी तैय करे उतनी राशि देने को तैयार है। प्रार्थी ने दिनांक 27–02–2025 को अप्रार्थी के समक्ष उपस्थित होकर उक्त रकबा राज मे से रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने ऐसा करने से इंकार कर दिया तथा सक्षम अधिकारी के समक्ष चाराजोही करने का कहा। जिस पर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने बाबत पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि वाके चक 5 पीजीएम का मुरब्बा नं.–16 पत्थर सं.–290/446 का किला नं.–10, 11 में कुल 0.5060 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी रकबा में आने जाने हेतु अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 5 पीजीएम का मुरब्बा नं.–16 पत्थर सं.–290/446 के किला नं–1 में पश्चिम दिशा में 16 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जावे तत्पश्चात रास्ते का अमलदरामद राजस्व रिकार्ड मे करने के आदेश प्रदान करे।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ के चक मुरब्बा नं.–16 पत्थर नं.–290/446 का किला नं.–10, 11 में 0.506 हैक्टर रकबा प्रार्थी रामदयाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी अनूपगढ़ के नाम खातेदारी खरीदशुदा है। पत्थर नं.–290/445 का किला नं.–21 ता 25 प्रत्येक 0.025 हैक्टर गैर मु.रास्ता दर्ज है। इस रास्ते के दक्षणी दशा में पत्थर नं.–290/446 का कला नं.–1 व 2 में 0.506 हैक्टर गै.मु. हड्डा रोडी स्वीकृत होकर दर्ज रकार्ड है। प्रार्थी उक्त किला नं.–1 में पश्चिमी दिशा में पत नं.–291/446 की हद के साथ–साथ एक बीधा तक 16 फीट यानि 0.025 हैक्टर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी के राकबा को वादाधीन वाछित रास्ता के अलावा अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता नहीं लगता है मागे गये प्रस्तावित [illegible] कोई अवरोध नहीं है। उक्त गैर मुमकिन हड्डा रोडी के रकबा में मुताबिक पटवार रिकार्ड के कोई वाद/स्थगन वचाराधीन नहीं है उक्त मुरब्बा नं.–16 पत्थर नं.–290/4[illegible] उक्त 21 ता 25 रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है। नजरी नक्शा संलग्न करते हुए प्रारूप में रिपोर्ट सादर पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.11.10 11:23:39 IST
Reason: SelfAttested

तदुपरांत बहस अंतिम सुनी जाकर मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार, अनूपगढ़ रिपोर्ट एवं नक्शा से स्पष्ट है कि प्रार्थी को

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

अपने खेत में जाने के लिए चक 5 पीजीएम का मुरब्बा नं.–16 पत्थर सं.–290/446 के किला नं–1 में पश्चिम दिशा में 16 फुट चौड़ा स्वीकृत रास्ता खेत हेतु मांग की है। जो प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु गै.मु. हड्डा रोड़ी भूमि में से रास्ता चाहा गया है गै.मु. हड्डा रोड़ी की भूमि नियमानुसार Non Agriculture Land की श्रेणी में आती है, Non Agriculture Land में धारा 251ए के तहत रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। कानूनन खातेदार कृषक की खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत गै.मु. हड्डा रोड़ी की गै.मु. हड्डा रोड़ी भूमि में से रास्ता प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। अतएव प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 27/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.11.10 11:23:39 IST
Reason: SelfAttested